बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

आदेश

आदेश संख्या-1/PMC/बैठक/121/2019-पार्ट-V 230 पटना, दिनांक : 19.03.26

विभाग अंतर्गत योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु निविदा निष्पादन से संबंधित विभागीय पत्रांक-199 दिनांक-14.03.2016 एवं विभागीय पत्रांक-201 दिनांक-28.02.2025 एवं अन्य आदेश निर्गत है।

2. कतिपय मामलों में यह तथ्य संज्ञान में आया है कि अपरिहार्य कारणों से निविदाओं के निष्पादन में हुए विलम्ब के पश्चात् भी कार्य समाप्ति की तिथि/अवधि आमंत्रित निविदा के अनुसार ही निर्धारित कर एकरारनामा किया जाता है। फलस्वरूप कार्यो के कार्यान्वयन हेतु निर्धारित कार्यावधि, कार्यो के कार्यान्वयन हेतु अपेक्षित अवधि के अनुरूप नहीं रह पाता जिस कारण कार्यो/योजनाओं के कार्यान्वयन में प्रतिकूल स्थितियां उत्पन्न होने की संभावना बनती है।

उपरोक्त परिस्थिति के सम्यक् विचारोपरांत कार्यहित में निम्नलिखित आदेश संसूचित किये जाते है :-

I. किसी भी निविदा आमंत्रण सूचना (NIT) में कार्य पूर्ण करने हेतु निर्धारित समय अवधि (कटाव निरोधक कार्य को छोड़कर) माह के रूप में उल्लेखित की जाय।

II. जल संसाधन विभाग अंतर्गत कार्यो/योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु आमंत्रित निविदाओं के निष्पादन में यदि किसी कारण से विलम्ब होता है तो वैसी स्थिति में NIT में अंकित कार्य समाप्ति की तिथि/ अवधि को समानुपातिक तरीके से पुनर्निर्धारित करा लिया जाय।

III. (क) कार्य की समाप्ति की तिथि/अवधि के पुनर्निर्धारण हेतु निविदा निस्तार हेतु प्राधिकृत समिति हीं सक्षम प्राधिकार होगे।

(ख) विशेष परिस्थिति यथा आपदा से संबंधित कार्यो के लिए कार्यान्वयन की आवश्यकता/ आपदा/ कार्यान्वयन हेतु सीमित अवधि की उपलब्धता के दृष्टिगत अवधि पुनर्निर्धारण के संबंध में कंडिका-III (क) के प्राधिकार द्वारा निर्णय लिया जा सकेगा।

IV. पुनर्निधारण की स्थिति में इसे LOA में अंकित किया जायेगा।

V. इस संबंध में पूर्व से निर्गत निविदाओं के निष्पादन से संबंधित निर्गत विभागीय एवं अन्य आदेश यथावत रहेंगे।

3. यह आदेश तत्काल प्रभावी होगा।

4. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

19/03/26

(आलोक कुमार)

संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)

जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–1/PMC/बैठक/121/2019–पार्ट–V 230 पटना, दिनांक : 19/03/26

प्रतिलिपि :- सभी मुख्य अभियंता (यांत्रिक सहित), जल संसाधन विभाग, बिहार/ सभी अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन विभाग, बिहार/ सभी कार्यपालक अभियंता, जल संसाधन विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/03/26

(आलोक कुमार)
संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)
जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–1/PMC/बैठक/121/2019–पार्ट–V 230 पटना, दिनांक : 19/03/26

प्रतिलिपि :- माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/ प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/03/26

(आलोक कुमार)
संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)
जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–1/PMC/बैठक/121/2019–पार्ट–V 230 पटना, दिनांक : 19/03/26

प्रतिलिपि :- कार्यपालक अभियंता, आई0टी0, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को ई–मेल करने एवं विभागीय Website पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

19/03/26

(आलोक कुमार)
संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)
जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना।